कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466

पत्रांक : 19M(05)CAMPA(2020-21)- 504 दिनांक : 18.12.2020.

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/ धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/ रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/ जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदनीनगर/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ राँची वन प्रमण्डल, राँची/ वन्य प्राणी प्रमण्डल, राँची/ उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/ उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदनीनगर/ उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदनीनगर।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली ''वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य'' योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु कुल रू0 383.58500 लाख (तीन करोड़ तिरासी लाख अंठावन हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का उप आवंटन (Online Sub Allotment)।**

प्रसंग:– 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 04/कैम्पा–04/2020 – 06/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 23.07.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या – 04/कैम्पा–04/2020 – 02/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 24.07.2020 एवं पत्र संख्या –04/कैम्पा–04/2020 – 2704 व0प0 दिनांक 01.09.2020

2. इस कार्यालय का पत्रांक 245 दिनांक 26.06.2020, पत्रांक 267 दिनांक 08.07.2020, ज्ञापांक 293 दिनांक 28.07.2020 एवं ज्ञापांक 347 दिनांक 03.09.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 04–वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष –103– राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, **उप शीर्ष– 05–''वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य'' योजना** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 383.58500 लाख (तीन करोड़ तिरासी लाख अंठावन हजार पाँच सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाई में किया जाता है:–

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240604103050323	383.585
	कुल :–		**383.585**

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1 से 3** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/ उप वन संरक्षक/ उप निदेशक होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप–कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप–आवंटन का सारांश **अनुलग्नक–4** एवं ऑन लाईन उप–आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–5** पर द्रष्टव्य है।

2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदनों में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 245 दिनांक 26.06.2020 एवं पत्रांक 267 दिनांक 08.07.2020 द्वारा भेजी गयी है–

(xi) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास संबंधी कार्य अनुमोदित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना अथवा कार्य नियोजना के अनुसार किये जायेंगे।

(xii) NPV & Penal NPV में संदर्भित कार्य, यदि वनभूमि पर किये जाते हैं तो वे कार्य नियोजना (Working Plan) के अनुसार किये जायेंगे।

(xiii) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत् जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(xiv) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियोजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू, ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(xv) ग्राम सभा/ ग्राम वन समिति/ अन्य प्राधिकरण के उपरोक्त वर्णित परामर्श का अभिलेख संधारित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 04/कैम्पा–04/2020–06/स्वी0 दिनांक 23.07.2020 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :–

4. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप की जायेगी।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप–कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे–

(II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(III) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(VII) गत तीन वर्षों की योजना की 100% प्रवृष्टि e-green watch portal पर की गई है, इसका सत्यापन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा सुनिश्चित करायेंगे, इसकी monitoring करेंगें। JSAC इत्यादि के सहयोग की आवश्यकता हो तो इसे प्राप्त करें।

7. Monitoring: विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैटर्न पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

8. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मस्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा सम्भव) भी एकत्र किया जाय।

(V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत् है। तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन, योजना सूची संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रुप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।

(VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(X) कंडिका-IX के उल्लंधन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमो के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(III) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

10. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(II) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान का अंग है। अनुमोदित APO के अधीन हजारीबाग, गिरीडीह, गोड्डा में इनका कार्यान्वन किया जा रहा है।

(III) कंडिका–10 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कंडिका–II में अंकित पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी इस योजना के अधीन रहेंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक–1204 दिनांक– 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं कंडिका–7 के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 8 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगें। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 9 (IV) एवं 8 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

15. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा ।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्त्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

18.12.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

18/12

ज्ञापांक– 19M(05)CAMPA(2020-21)- 504 दिनांक– 18.12.2020.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ बोकारो/ हजारीबाग/ दुमका/ पलामू/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदनीनगर/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अँचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ देवघर/ दुमका/ मेदिनीनगर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

18.12.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

18/12

ज्ञापांक– 19M(05)CAMPA(2020-21)- 504 दिनांक– 18.12.2020

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला–खरसावां/ हजारीबाग/ चतरा/ कोडरमा/ बोकारो/ रामगढ़/ धनबाद/ गिरिडीह/ दुमका/ गोड्डा/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ देवघर/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

18.12.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

18/12

अनुलग्नक – 1

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2020–21 : उपशीर्ष "05–वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य"

(मजदूरी दर : रू0 257.29 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वनों की सुरक्षा कार्य						
		सोलर लैम्प का वितरण				सकल योग		
		भौतिक लक्ष्य (सं0)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	100	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	100	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	100	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	100	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	100	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
14	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
15	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	200	---	8.00000	8.00000	---	8.00000	8.00000
	कुल योग	2,500	---	100.00000	100.00000	---	100.00000	100.00000

18.12.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक – 2

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2020–21 : उपशीर्ष ''05–वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य''

(मजदूरी दर : रू0 257.29 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	अन्य कार्य						
		उन्नत चूल्हा का वितरण				सकल योग		
		भौतिक लक्ष्य (सं0)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	300	---	6.00000	6.00000	---	6.00000	6.00000
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	200	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	300	---	6.00000	6.00000	---	6.00000	6.00000
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	300	---	6.00000	6.00000	---	6.00000	6.00000
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	200	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	200	---	4.00000	4.00000	---	4.00000	4.00000
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	100	---	2.00000	2.00000	---	2.00000	2.00000
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	300	---	6.00000	6.00000	---	6.00000	6.00000
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	300	---	6.00000	6.00000	---	6.00000	6.00000
10	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	300	---	6.00000	6.00000	---	6.00000	6.00000
	कुल योग	2,500	---	50.00000	50.00000	---	50.00000	50.00000

18.12.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

18/12

अनुलग्नक–3

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2020–21 : उपशीर्ष "05–वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य"

(मजदूरी दर : रू0 257.29 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	मानव–वन्यप्राणी संघर्ष का निराकरण								सकल योग		
		ड्रैगन टॉर्च का क्रय				सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय						
		भौतिक लक्ष्य (सं0)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (सं0)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	20	---	1.70000	1.70000	50	---	10.00000	10.00000	---	11.70000	11.70000
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	10	---	0.85000	0.85000	50	---	10.00000	10.00000	---	10.85000	10.85000
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	---	---	---	---	50	---	10.00000	10.00000	---	10.00000	10.00000
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	6	---	0.51000	0.51000	100	---	20.00000	20.00000	---	20.51000	20.51000
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	10	---	0.85000	0.85000	50	---	10.00000	10.00000	---	10.85000	10.85000
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	30	---	2.55000	2.55000	50	---	10.00000	10.00000	---	12.55000	12.55000
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	10	---	0.85000	0.85000	---	---	---	---	---	0.85000	0.85000
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	10	---	0.85000	0.85000	50	---	10.00000	10.00000	---	10.85000	10.85000
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	30	---	2.55000	2.55000	50	---	10.00000	10.00000	---	12.55000	12.55000
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	50	---	4.25000	4.25000	100	---	20.00000	20.00000	---	24.25000	24.25000
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	100	---	8.50000	8.50000	---	---	---	---	---	8.50000	8.50000
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	30	---	2.55000	2.55000	---	---	---	---	---	2.55000	2.55000
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़हाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	30	---	2.55000	2.55000	---	---	---	---	---	2.55000	2.55000
14	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	50	---	4.25000	4.25000	100	---	20.00000	20.00000	---	24.25000	24.25000
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	50	---	4.25000	4.25000	---	---	---	---	---	4.25000	4.25000
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	50	---	4.25000	4.25000	---	---	---	---	---	4.25000	4.25000
17	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	50	---	4.25000	4.25000	---	---	---	---	---	4.25000	4.25000

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	मानव–वन्यप्राणी संघर्ष का निराकरण								सकल योग		
		हैंगिंग टॉर्च का क्रय				सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय						
		भौतिक लक्ष्य (सं०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (सं०)	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि	मजदूरी	सामग्री एवं आपूर्ति	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	100	—	8.50000	8.50000	100	—	20.00000	20.00000	—	28.50000	28.50000
19	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	50	—	4.25000	4.25000	50	—	10.00000	10.00000	—	14.25000	14.25000
20	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	15	—	1.27500	1.27500	50	—	10.00000	10.00000	—	11.27500	11.27500
21	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	—	—	—	—	20	—	4.00000	4.00000	—	4.00000	4.00000
	कुल योग	**701**	**—**	**59.58500**	**59.58500**	**870**	**—**	**174.00000**	**174.00000**	**—**	**233.58500**	**233.58500**

18.12.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी), झारखण्ड, राँची।

18/12

अनुलग्नक-4

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मुख्य शीर्ष-2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी & 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास & 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन & 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240604103050323 आपूर्ति एवं सामग्री	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Bokaro	BKRFOR001	Arun Kumar Singh	D F O, Bokaro	₹19,70,000.00 (65037)	₹19,70,000.00
2	Dhanbad	DHNFOR001	Sri Birnal Lakra	Divisional Forest Officer	₹24,85,000.00 (65039)	₹24,85,000.00
3	Giridih	GRDFOR001	Rajkumar Sah	Dfo Giridih East For.Div.	₹4,00,000.00 (65041)	₹4,00,000.00
4	Ramgarh	HZBFOR001	Div. Forest Officer Ramgarh	Div. Forest Officer	₹18,00,000.00 (65043)	₹18,00,000.00
5	Deoghar	DGRFORE88	Premjit Anand	Dfo Deo.For.Div.Deo.	₹20,51,000.00 (65045)	₹20,51,000.00
6	Dumka	DMKFOR010	Sourav Chandra	D.F.O.Dumka	₹8,00,000.00 (65054)	₹8,00,000.00
7	Godda	GDDFOR164	Patruni Rajendra Naidu	Dfo Godda Forest Division	₹10,00,000.00 (65055)	₹10,00,000.00
8	Jamtara	JMTFOR001	Bankar Ajinkya Devidas	D.F.O. Jamtara	₹8,00,000.00 (65162)	₹8,00,000.00
9	Sahebganj	SBJFOR001	Vikas Paliwal	Div.For.Off.Sahibganj	₹14,00,000.00 (65164)	₹14,00,000.00
10	Chatra	CTRFOR002	R.Thanga Pandian	D.F.O, North Div. Chatra	₹10,85,000.00 (65165)	₹10,85,000.00
11	Chatra	CTRFOR003	Vikas Meena	D.F.O. South Divn. Chatra	₹24,55,000.00 (65166)	₹24,55,000.00
12	Hazaribagh	HZBFWL009	Smitha Pankaj	Div. Forest Officer East	₹18,85,000.00 (65167)	₹18,85,000.00
13	Hazaribagh	HZBFWL005	Ravindra Nath Mishra I.F.S.	D.F.O., Hazaribag West Div.Hzb	₹20,55,000.00 (65168)	₹20,55,000.00
14	Koderma	KDMFORA01	Suraj Kumar Singh	D.F.O. Koderma	₹85,000.00 (65169)	₹85,000.00
15	Jamshedpur	JSRFOR051	Mamta Priyadarshi (I.F.S)	D.F.O.Jamshedpur Prm.Jsr.	₹24,25,000.00 (65171)	₹24,25,000.00
16	Singhbhum West	SGHFOR002	Sri. Abhishek Bhushan (I.F.S.)	D.F.O.Kolhan Forest Div.Cbsa	₹2,55,000.00 (65173)	₹2,55,000.00
17	Singhbhum West	SGHFOR003	Sri. Nitish Kumar (Ifs)	D.F.O.Porahat Forest Div.	₹2,55,000.00 (65174)	₹2,55,000.00
18	Saraikela	SKLFOR001	Aditya Narayan	D. F. O. Seraikella-Kharsawan	₹8,50,000.00 (65175)	₹8,50,000.00
19	Singhbhum West	SGHFOR011	Sri Rajneesh Kumar	D.F.O.Saranda Forest Div.Ifs	₹30,25,000.00 (65176)	₹30,25,000.00
20	Palamu	PLMFOR070	Rahul Kumar Ifs	D.F.O.Medininagar.Forest.Div.	₹6,00,000.00 (65177)	₹6,00,000.00
21	Gumla	GMLFOR001	Srikant Ifs	D.F.O. Gumla	₹4,25,000.00 (65180)	₹4,25,000.00
22	Khunti	RNCFORK01	Kuldeep Meena	D.F.O Khunti	₹4,25,000.00 (65181)	₹4,25,000.00
23	Doranda	DRNFWL013	Ashok Kumar Dubey	Dfo. Ranchi Forest Division Ra	₹18,25,000.00 (65182)	₹18,25,000.00
24	Jamshedpur	JSRFOR002	Shri Abhishek Kumar (I.F.S)	Dy.C.F.& F.D.Proj.Elephant Jsr	₹12,00,000.00 (65185)	₹12,00,000.00
25	Palamu	PLMFOR069	Kumar Ashish Ifs	Dy.Dir.Tiger.Pro.North.Div.Med	₹42,50,000.00 (65187)	₹42,50,000.00
26	Palamu	PLMFOR068	Mukesh Kumar	Dy.Dir.Tiger.Pro.South.Div.Med	₹14,25,000.00 (65188)	₹14,25,000.00
27	Doranda	DRNFWL049	Rajiv Ranjan	Dfo Wild Life Division Ranchi	₹11,27,500.00 (65192)	₹11,27,500.00

कुल आवंटित राशि :- ₹3,83,58,500.00 (rhu djksM frj;klh yk[k vBkou gtkj ikWp lkS) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND RANC

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

18/12

अनुलग्नक - 5

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centoral Scheme : NA	65037	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	1,970,000.00 रुपये उन्नीस लाख सत्तर हजार
2	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centoral Scheme : NA	65039	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,485,000.00 रुपये चौबीस लाख पिचासी हजार

योग: 4,455,000.00

शाब्दिक योग: रुपये चवालीस लाख पचपन हजार

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl.PCCF CAMPA JHARKHAND

Additional Principal Chief Conservator of Forest
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

Run Date: 18/12/2020

18/12

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकाउंट नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65041	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	400,000.00 रुपये चार लाख
4	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65043	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	1,800,000.00 रुपये अठारह लाख
5	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65045	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,051,000.00 रुपये बीस लाख इक्यावन हजार

योग: 4,251,000.00

क्रमिक योग: रुपये सत्तासी लाख छः हजार 8,706,000.00

(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDI.PCCF,CAMPA JHARKHAND

 Run Date: 18/12/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एडवाइस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 06 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65054	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	800,000.00 रुपये आठ लाख
7	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 06 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65055	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION	1,000,000.00 रुपये दस लाख
8	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65162	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA	800,000.00 रुपये आठ लाख

योग: 2,600,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ तेरह लाख छः हजार 11,306,000.00

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL.PCCF CAMPA JHARKHAND

Run Date: 18/12/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 | दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकरीश सं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1779) Centeral Scheme : NA	65164	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	1,400,000.00 रुपये चौदह लाख
10	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1779) Centeral Scheme : NA	65165	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	1,085,000.00 रुपये दस लाख पिच्चासी हजार
11	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1779) Centeral Scheme : NA	65166	CTRFOR003 VIKAS MEENA D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,455,000.00 रुपये चौबीस लाख पचपन हजार

योग: 4,940,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ बासठ लाख छियालीस हजार 16,246,000.00

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl.PCCF,CAMPA,JHARKHAND

Run Date: 18/12/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एडवाइस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65167	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	1,885,000.00 रुपये अठारह लाख पिच्यासी हजार
13	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65168	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	2,055,000.00 रुपये बीस लाख पचपन हजार
14	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65169	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	85,000.00 रुपये पिच्यासी हजार

योग: 4,025,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड़ दो लाख इकहत्तर हजार 20,271,000.00

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl PCCF CAMPA JHARKHAND

 Run Date: 18/12/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकोस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65171	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	2,425,000.00 रुपये चौबीस लाख पच्चीस हजार
16	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65173	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	255,000.00 रुपये दो लाख पचपन हजार
17	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65174	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	255,000.00 रुपये दो लाख पचपन हजार

योग: 2,935,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड़ बत्तीस लाख छः हजार 23,206,000.00

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDl.PCCF CAMPA JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 18/12/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एडवाइस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65175	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	850,000.00 रुपये आठ लाख पचास हजार
19	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65176	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	3,025,000.00 रुपये तीस लाख पच्चीस हजार
20	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65177	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR.FOREST.DIV.	600,000.00 रुपये छः लाख

योग: 4,475,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड़ छिहत्तर लाख इक्यासी हजार 27,681,000.00

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDLPCCF CAMPA JHARKHAND

 Run Date: 18/12/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकरोह नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65180	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA	425,000.00 रुपये चार लाख पच्चीस हजार
22	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65181	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI	425,000.00 रुपये चार लाख पच्चीस हजार
23	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65182	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	1,825,000.00 रुपये अठारह लाख पच्चीस हजार

योग: 2,675,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड़ तीन लाख छप्पन हजार 30,356,000.00

18.12.2020
(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDl.PCCF CAMPA JHARKHAND

 Run Date: 18/12/2020

RANC
Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504 दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65185	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	1,200,000.00 रुपये बारह लाख
25	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65187	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	4,250,000.00 रुपये बयालीस लाख पचास हजार
26	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centeral Scheme : NA	65188	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	1,425,000.00 रुपये चौदह लाख पच्चीस हजार

योग: 6,875,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड़ बहत्तर लाख इकतीस हजार 37,231,000.00

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDI.PCCF.CAMPA JHARKHAND

 Run Date: 18/12/2020

RANC

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

पत्र संख्या - 19M05CAMPA20-21/504

दिनांक - 18-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एकाउंट नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
27	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकि विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770) Centoral Scheme : NA	65192	DRNFWL049 RAJIV RANJAN DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	1,127,500.00 रुपये ग्यारह लाख सत्ताइस हजार पाँच सौ

योग: 1,127,500.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड़ तिरासी लाख अठावन हजार पाँच सौ 38,358,500.00

18.12.2020

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND

Run Date: 18/12/2020

Additional Principal Chief Conservator of Forests
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

18/12